(148)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 434–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 233/अपील/2012–13.

.....

चन्दरलाल पुत्र श्री देवचंद दांगी
निवासी ग्राम हबीपुरा तहसील ब्यावरा
जिला राजगढ़

..... आवेदक

विरूद्ध

1–लक्ष्मीबाई पत्नि श्री रामचंद सुतार
निवासी ग्राम सुल्तापुरा तहसील ब्यावरा
जिला राजगढ़ म0प्र0
2–देवचंद पुत्र श्री नंदा दांगी
निवासी हबीपुरा तहसील ब्यावरा
जिला राजगढ म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक– आवेदक
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 4/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/. प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार ब्यावरा के समक्ष संहिता की धारा 131, 132 व 133 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अरन्या स्थित भूमि सर्वे कमांक 258/1/1 रकबा 0.633 हेक्टेयर भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिस पर आने जाने हेतु 50 वर्ष पुराना रास्ता है जिसे अनावेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 8–8–12 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–11–12 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–12–14 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये केवल अनावेदकगण के जबाव के आधार पर आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है। यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है यदि स्थल निरीक्ष किया जाता तब स्पष्ट होता कि दो ग्रामों की सीमा पर 15 फीट चौडा रास्ता था जिस पर ग्रामवासी उपयोग करते थे परन्तु अनावेदकगण द्वारा रास्ते को बन्द कर दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में केवल एक दो फीट कॉकड़ होना बताया गया है और प्रतिवेदन के साथ नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि शासकीय कॉकड पर अनावेदकगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा शासकीय रास्ता होने की ओर कोई ध्यान नहीं देकर आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ता कभी मौके पर नहीं रहा है और आवेदक के लिये पूर्व से ही रूढिगत रास्ता उपलब्ध है, जिसका उपयोग वह कर रहा है । यह भी कहा गया कि पटवारी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में कोई साक्ष्य ही ली गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यद्यपि पटवारी से रिपोर्ट ली गई है जिसमें रूढिगत रास्ता होने का उल्लेख है, परन्तु इस बिन्दु को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं मिला, इस पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मौके पर स्थल निरीक्षण कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर विधिनुसार आदेश पारित करें।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर